

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2024--आषाढ 7, शक 1946

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)-कुछ नहीं

भाग ४ (ख)-कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

नगरीय विकास एवं आवास

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2024

क्रमांक यूडीएच-3/0031/2024/18-5 :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-24 की उपधारा-(3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा-85 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12 मार्च 2024 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अर्थात् :-

- (1) नियम 12 (क) में,
अंक 105 वर्गमीटर के स्थान पर 186 वर्गमीटर स्थापित किया जायें।
- (2) परिशिष्ट क-2(2) में,
अंक 105 वर्गमीटर के स्थान पर 186 वर्गमीटर स्थापित किया जाए।
- (3) परिशिष्ट क-2(3) में,
अंक 105 वर्गमीटर के स्थान पर 186 वर्गमीटर स्थापित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 20 जून 2024

क्र. यूडीएच-03-0031-2024-अठारह-5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्र. यूडीएच-03-0031-2024-अठारह-5, दिनांक 20 जून 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुप्रिया पेडके, अवर सचिव

Bhopal, the 20th June 2024

No.F' UDH-3/0031/2024/18-5 :: In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 85 read with sub-section(3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973 the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary) dated 12th March 2024 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rules :

- 1- **In rule 12 A.**
The number 186 sqm. shall be substituted in place of 105 sqm.
- 2- **In Appendix A-2(2).**
The number 186 sqm. shall be substituted in place of 105 sqm.
- 3- **In Appendix A-2(3)**
The number 186 sqm. Shall be substituted in place of 105 sqm.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.